

24/06/25

उपरोक्त फल उपर कौल प्राची के आदेश दिनांक 10/11/24 की पालना में ना तो संशोधित शीर्षक पेश किया है एवं ना ही लकी लेटु नोटिस पेश किया है। इससे प्रतीत होता है कि प्राची स्वयं ही प्राप्त हो देकर फल प्राप्त है। अतः पत्रावली इकी स्वरुप संशोधित शीर्षक व लकी आदेश में धारिज की जाती है। उक्त पत्रावली के संलग्न पत्रावली सं. 14/22 की दिनांक की जाती है संघट से कृपया।

आदेश सुभाष गमा

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (राज.)



GCMs
2024/199
+
2022/423